संख्या-305/2021/1334रासनि/23-1-21-46रासनि/20टीसी

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2021**

विषय-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद मथुरा के बृहमाण्ड्घाट मार्ग से ठाकुर जी राधिका रमण महाराज विराजमान मंदिर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), कार्यालय प्रमुख अभि, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-506/पी0जे011/15पी0जे0(1)/21, दि0 12.11.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित विवरणानुसार **जनपद मथुरा के बृहमाण्ड्घाट मार्ग से ठाकुर जी राधिका रमण महाराज विराजमान मंदिर मार्ग के नवनिर्माण के कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 73.47 लाख(रूपये तिहत्तर लाख सैतालीस हजार मात्र) की** प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054 में** राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत श्रीराज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	**जनपद मथुरा** मार्ग का नाम	मूल शासनादेश सं0	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	2	3	4	5
1	बृहमाण्डघाट मार्ग से ठाकुर जी राधिका रमण महाराज विराजमान मंदिर मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	157/2021/231रासनि/23-1-2021-46रासनि/20टीसी, दिनांक 19.07.2021	27.46	73.47

2- विषयगत कार्य की मूल स्वीकृति के उक्त शासनादेश दिनांक 19.07.2021 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

संख्या-305/2021/1334रासनि(1)/23-1-21, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
9. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
10. लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।